

FORM No. III


फर्द अहकाम


(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला

उनवान विद्वक नाच वनाम तहसीलदार खण्डेला

किस्म मुकदमा प्राणापली 136 R.L.R. मिय पे 2 मुकदमा नं. 13 सन् 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
<p>21/03/18</p> <p>पत्रायली म्या हुई... यकुलाय फरिदन अनुपस्थिति पीठासीन अधिकारी वीरे कार्य में व्यस्त पत्रायली अमिम कार्यवाही हेतु दिनांक 27-06-18 का देश हो।</p>	<p>वकील प्राधी श्री मुनाब-चन्द्र शर्मा ने हाजिर अदालत होकर प्रार्थना पत्र पे 2) प) 136 R.L.R. मिय पे 2) किया। 210 पत्र वर्त मजिस्ट्रेट किया जाये, अग्रणी की नकदी जरूरत मन्थन की जाकर पत्रायली दिनांक 19-04-2018 को भेज दिये।</p>	<p>1982 6.4-18</p>
	<p>27/06/18 पत्रायली आज रोजा लोड अदालत अमिमन न्याय आपडे दुगर 2018 के तहत वेम्य स्थल पंचायती समिति खण्डेला में पे 2) हुई। वकील प्राधी ने अपने प्रार्थना-पत्र में अंठित तथ्यों को दोहराते हुए मुनाबिड अनुमोप प्राथम में निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया। वकील प्राधी ने निवेदन पर प्रामि-धारी तहसीलदार खण्डेला ने फर्द आपत्ति जाहिर नहीं की।</p> <p>पत्रायली, पत्रायली पर उपलब्ध रोजर रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवं मजमे आम में पूछताछ कर फर्द मौका रिपोर्ट बनवाई गई। मुनाबिड फर्द मौका रिपोर्ट</p>	<p>No objection 27-06-18 TDR, KSR</p>

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व अहकाम हुकम की में जारी
	<p>विवादित प्रामियों के राजपत्र रेकार्ड में प्राथी की माता का नाम विवासन की नामान्त रक्षण वर्ष करते हुए के रानी देवी अंशित हो गया जबकि प्राथी की माता का सही व पार-सर्वविध नाम अशावती देवी है जो प्रकृत डिजा जाना उचित है।</p> <p>उक्त तथ्यों के आलोक में प्राथी का प्रार्थना-पत्र रवीशर डिजा जाकर अदेश दिया जाता है कि :-</p> <p style="text-align: center;"><u>निर्णय</u></p> <p>तन ग्राम मेहरो की गणी अवस्थित कृषि प्रमि ख. नं. 3212, 3213 तथा तन ग्राम खोला अवस्थित कृषि प्रमि ख. नं. 3267, 3268, 3287, 3288 में प्राथी की माता का नाम "मु. उरानी देवी पत्नी गोविन्द" के स्थान पर "अशावती देवी पत्नी गोविन्दराम" प्रकृत डिजा जाता है। उक्तानुसार राजपत्र रेकार्ड में अंमल कराया है। तहसीलवार खोला को तहसीर अदेश जारी है। अशावती कुसल कुमार लेकर नम्बर से कम हो तथा बांद्र तहसील काजिल परत हो। निर्णय मजमे आम सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  अशावती कुसल अशावती कुसल अशावती कुसल (सिफर) </p>	

